न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

निगरानी प्रकरण क्रमांक सन् 2012

1. देवी सिंह तनय धरमन सिंह
2. पवन सिंह तनय धरमन सिंह

दोनो नाबालिग सरपरस्त

पिता धरमन सिंह तनय प्राण सिंह यादव

निवासीगण ग्राम नाद, तहसील राजनगर,

जिला छतरपुर म0प्र0

——— निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1. मु0 राधाबाई बेवा प्राण सिंह यादव
2. रतन सिंह तनय प्राण सिंह यादव

दोनो निवासीगण ग्राम नांद, तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म0प्र0 ——— गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश अनुविभागीय अधिकारी राजनगर, जिला छतरपुर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 89/अपील/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 25.10.2012 से परिवेदित होकर।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959

मान्यवर,

निगरानीकर्तागण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करते हैं :–

1. यह कि निगरानीकर्तागण द्वारा ग्राम नांद की भूमि जो गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1 राधाबाई के नाम भूमि खसरा नं0 215/1, 418, 410/2, 410/5, एवं 419/2 एकत्र रकवा 1.683 हे0 एकांकी रूप से बतौर भूमि स्वामी रूप से दर्ज थी। जिसे निगरानीकर्तागणों द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई, तथा जिसका नामान्तरण आदेश दिनांक 02.02.2011 नामान्तरण पंजी क्रमांक 03, स्थित मौजा नांद की भूमि का किया गया था, जिसके विरूद्ध गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 02 द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी राजनगर के समक्ष प्रस्तुत की, जिसे प्रकरण क्रमांक 89/अपील/2011–12 दर्ज की गई।

क्रमशः//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4106-दो/2012 जिला छतरपुर देवीसिंह विरूद्ध राधाबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 89/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 25-10-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-12-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

31.01.19

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

31.01.19

(आर.के. जैन)
सदस्य